प्रशासनिक अनुभाग जजशिप, सम्भल स्थित चन्दौसी।

प्रशा० आदेश सं०- 152/2021 दिनांक- 17.08.2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय से निर्गत उक्त कलैण्डर के नोट के बिन्दु संख्या -01 के अनुसार जिस दिनांक को तारांकन किया है वह दिनांक चन्द्र दर्शन के अनुसार पुनः निर्धारित की जायेगी। शहर क़ाजी मौहम्मद मरग़ूब नायाब शहर इमाम, चन्दौसी एवं मदरसा क़ादरी नौशाही गौसुल उलूम सलमानी मस्जिद मौह० कागजी चन्दौसी, जिला सम्भल द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांकित-17.08.2021 के अनुसार मोहर्रम का पर्व दिनांक-20.08.2021 को मनाया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वर्ष 2021 के कलैण्डर में मोहर्रम का अवकाश दिनांक-19.08.2021 का प्रस्तावित है एवं दिनांक-19.08.2021 को तारांकन किया गया है।

अतः शहर क़ाजी मौहम्मद मरग़ूब नायाब शहर इमाम, चन्दौसी एवं मदरसा क़ादरी नौशाही गौसुल उलूम सलमानी मस्जिद मौह० कागजी चन्दौसी, जिला सम्भल द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांकित-17.08.2021 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक-19.08.2021 को स्थान पर दिनांक-20.08.2021 को मुख्यालय व बाह्य न्यायालय गुन्नौर व सम्भल में मोहर्रम का अवकाश रहेगा। दिनांक-19.08.2021 को मुख्यालय स्थित समस्त न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय गुन्नौर व सम्भल में नियमानुसार कार्य सम्पादित किया जायेगा।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि समस्त समाचार-पत्रों में इस आदेश का प्रकाशन करायें।

Bhanudeo 17/08/2021

भानु देव शर्मा,
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं अन्य समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधिकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. समस्त बार एसोसिएशन जजशिप सम्भल।